Major & Medium irrigation projects through Accelerated Irrigation Benefits Programmes (AIBP), launched during 1996-97. Under AIBP Central Loan Assistance of Rs. 14.00 crores and Rs. 55.00 crores has been released to Maharashtra during 1996-97 and 1997-98 respectively.

Reduction in the flow of water for Farakka Barrage

3352. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of continuous withdrawal of water in the upstream of the Ganga, the flow of water available for the Farakka Barrage has considerably reduced below the minimum targeted flow of 40,000 cusecs affecting the navigability of the Calcutta port;

(b) whether the position has further worsaned as a result df the agreement relating to the sharing of Ganga water with Bangladesh; and

(c) if so, what steps are proposed to be taken to save the Calcutta port from siltation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

नर्मदा परियोजना पर मुख्य मंत्रियों की बैठक

3353. **श्री अनन्तरींय देवशंकर दवेः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नर्मदा परियोजना से संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) अब तक हुई बैठकों के क्या निष्कर्ष रहे और प्रत्योक मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक हुई बैठकों में क्या कोई समाधान मिल पाया है जिससे नर्मदा परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर की अध्यक्षता में तथा सदस्य रूप में नर्मदा बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रय पर्यावरण एवं वन मंत्री के साथ नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (आर सी एन सी ए) की अब तक 7 (सात) नियमित बैठकें और 1(एक) विशेष बैठक हो चुकी है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की दिनांक 15.7.1996 को आयोजित विशेष बैठक में दुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का यह रवैया था कि यह परियोजना नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार नियोजित सरदार सरोवर बांध का पूर्ण जलाशय स्तर 138.68 मीटर (455 फुट) रखते हुए पूरी की जानी चीहिए जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने जलमग्र क्षेत्र और परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या में कभी लाने के लिए पूर्ण जलाशय स्तर घटाकर 132.68 मीटर (436 फुट) करने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश ने यह भी आग्रह किया कि बांध के स्पिलवे भाग को 81.5 मी. की मौजूदा स्कर से ऊपर उठाने के पहले 132.68 मी. (436 फुट) पर पूर्ण जलाशय स्तर को ध्यान में रखते हुए बांध की रूपरेखा परिवर्तित की जानी चाहिए। चूंकि सका अतः 15 और 16 दुलाई, 1996 को पक्षकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई जिसमें सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और निम्न सहमति हुईः-

"पहली बार में पूर्ण जलाशय स्तर को 132.68 मीटर (436 फुट) तक सीमित रखते हुए सरदार सरोवर बांध का निर्माण आयोजना के अनुसार किया जाए। इसके बाद पांच तक बांध में जल के वास्तविक प्रवाह के आंकड़ों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि इन पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में जल निस्सरण का प्रवाह पंचीट में आकलित किए गए अनुसार पर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 138.68 मीटर (455 फुट) तक उठाने संबंधी निर्णय पर विचार किया जा सकता है।

बांध का निर्माण पंचाट की शर्तों तथा इस संहंध में राज्यों द्वारा बनाई गई सहायता और पुर्वास

नीतियों के अनुसार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के साथ-साथ होगा। राज्य सहायता और पुनर्वास उपायों का शीघ्र एवं उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।"

इसके पश्चात नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 13 नवम्बर, 1996 को आयोजित 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बांध की प्रत्येक 5 मीटर ऊंचाई की समीक्षा सहित 81.5 मी. ऊंचाई स्तर (ई एल) पर पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर एण्ड आर) उपायोग के कार्यन्वयन की प्रगति की समीक्षा के निर्धारण के साथ वर्ष 1996-97 में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई स्पिलवे भाग में ऊंचाई स्तर (ई एल) 110 मी. तक बढ़ाई जाए ताकि निर्माण कार्य पुनर्वास और पुनर्स्थापना उपायों के कार्यान्वयन के साथ-साथ हो सके।

सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग के बीच अन्तर

3354. **श्री नागमणि**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई क्षमता के सृजन और उसके उपयोग में काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अंतर को समाप्त करने हेतु व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (अर्थात 1996-97) के अंत तक देश में सृजित और संयुक्त सिंचाई क्षमता और इन दोनों के बीच के अंतर का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सिंचाई क्षमता के सृजन एवं उपयोग के बीच अंतर को कम करने के लिए वर्ष 1974-75 से एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) कार्यान्वनाधीन है। इस समय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 218 परियोजनाएं हैं जिसमें 21.78 मिलि. हैक्टे. का कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) 23 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में फाला हुआ है। सृजित सिंचाई क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिन मुख्य क्रियाकलापों को प्रारंभ किया गया है उसमें (i) प्रत्येक निकास के कमान के अंतर्गत खेत चैनलों एवं खेत जल निकासों का विकास (ii) भूमि समतलन और उनको आकार देना (iii) अलग अलग खेतों में जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बाराबंदी लागू करना (iv) विस्तार सेवाओं का सुदृढ़करण (v) ड्रिप और स्प्रिंक्लर प्रणालिओं को बढ़ावा देने पर जोर देना (vi) सिंचाई जल प्रबंधन आदि में किसानों की बागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता और दोनों के बीच अंतर का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)		
		सृजित	प्रयुक्त	अंतर (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	5948.97	5570.96	378.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	83.42	5570.96	378.01
3.	असम	789.43	622.62	166.81
4.	बिहार	7910.74	6897.09	1012.84
5.	गोवा	33.54	29.84	3.7
6.	गुजरात	3285.3	3039.62	245.68
7.	हरियाणा	3655.56	3365.24	290.32
8.	हिमाचल प्रदेश	160.93	134.01	26.92